

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3006

दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

राज्यों और राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में शासी ढांचा

3006. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

श्री जुगल किशोर:

श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों (एसपीयू) में विशेषकर स्वायत्तता, नेतृत्व क्षमता निर्माण और निर्णयन में पारदर्शिता के संदर्भ में शासन संरचनाओं में सुधार लाने के लिए राज्यवार, विशेषकर छत्तीसगढ़ में क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) सरकार की एसपीयू में प्रशिक्षुता, शिक्षुता और कौशल आधारित शिक्षा को उभरते रोजगार बाजार के अनुरूप बढ़ावा देने के लिए राज्यवार, विशेषकर छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कार्य करने की योजना है; और
- (ग) क्या सरकार की राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) अथवा कार्य निष्पादन आधारित वित्तपोषण जैसे नवीन वित्तपोषण मॉडल आरंभ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो विशेषकर छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) 'राज्यों और राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' पर नीति आयोग की रिपोर्ट फरवरी 2025 में जारी की गई थी। रिपोर्ट में नेतृत्व क्षमता

निर्माण और संवर्धित स्वायत्तता के माध्यम से शासन की संरचनाओं में सुधार, इंटरनशिप और प्रशिक्षुता के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने और पीपीपी जैसे अभिनव फंडिंग मॉडल के माध्यम से संस्थागत और प्रणालीगत फंडिंग और वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की है और छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के लिए राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न नीतिगत बदलावों का सुझाव देती है। राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं। जहां तक केंद्र सरकार का प्रश्न है, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी), पीएम-इंटरनशिप योजना, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम- विद्यालक्ष्मी) और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) जैसे केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के लिए भी आवेदन उपलब्ध हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना, पीपीपी रूप में उच्च शिक्षा क्षेत्रक सहित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संवैधानिक प्राधिकरणों, जैसी भी स्थिति हो, में लागू है।

\*\*\*\*\*